सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 145/15 **निर्णय दिनांकः 30–08–2019**

1. वाहिदबक्स पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी गांव मगनवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. बनवारीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 14 एमजीएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–01–2011
सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 18–01–2011 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि तहसील कोलायत के ग्राम मगनवाला के चक 14 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 22/38 की 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि के विशेष आवंटन बाबत् अपीलांट द्वारा वर्ष 2007 में आवंटन हेतु आवेदन पेश किया तथा अपीलांट के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26–06–2008 को अपीलांट की प्रथम वरियता मानते हुए उपरोक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उक्त अपील दिनांक 12–02–2009 को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि पात्र व्यक्तियों की पात्रता की पुनः जॉच करते हुए व प्राथमिकता तय करते हुए आदेश पारित किया जावे।

उन्होनें आगे बताया कि उक्त रिमाण्ड आदेश के बावजूद करीब दो वर्ष तक पत्रावली को पेशी पर नहीं लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18–01–2011 को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर यह अंकित करते हुए कि प्रार्थी को आवाजें लगवाई गई परन्तु हाजिर नहीं। रेस्पोडेन्ट के पिता हाजिर आये तथा उसी दिनांक को वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। जबकि न्यायालय हाजा द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय सम्पूर्ण दस्तावेजों की जॉच करते व पात्रता के अनुसार वरियता कायम करते हुए व समान वरियता होने पर खुली बोली के तहत आवंटन की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तमाम निर्देशों की अवहेलना करते हुए रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपलांट की बनती है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों व न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुॅचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी समान वरियता के पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली लगती व अधिकतम बोलीदाता को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में

प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि वादगत् भूमि तहसील कोलायत के ग्राम मगनवाला के चक 14 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 22/38 की 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि के विशेष आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश के अनुसरण में पत्रावली पेशी पर ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलां को दिनांक 18—01—2011 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिये नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस पर अपीलांट की तामील प्राप्त होने व उनके न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने की स्थिति में आवंटन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जॉच करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से आदेश जैर अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर ही वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत् का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं।

अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्देशों के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 08 माह उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ—साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—01—2011 के विरूद्व अपील 23—08—2011 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं हितबद्व पक्षकारों को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पीठ पीछे पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट वाहिद बक्स पुत्र खुदाबक्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बनवारीलाल पुत्र ओमप्रकाश द्वारा तहसील कोलायत के ग्राम मगनवाला के चक 14 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 22/38 की 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में को सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया। उक्त आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व पात्रता की जॉच करते हुए तथा प्राथमिकता के अनुसार वादग्रस्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को पशी पर लिया गया तथा आवंटन अधिकारी की पत्रावली में वाहिद बक्स को नोटिस जारी करने का उल्लेख है, परन्तु पत्रावली में नोटिस जारी करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई सबूत अथवा नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में तीन नोटिस की प्रतियॉ उपलब्ध है, वे तीनों नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बनवारीलाल पुत्र ओमप्रकाश को जारी किये गये है। जिससे प्रथम दृष्टया ही प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन की प्राथमिकता से वंचित करने के उद्वेश्य मात्र से व रेस्पोडेन्ट संख्या 1

बनवारीलाल को उक्त भूमि के आवंटन करने के उद्वेश्य मात्र से उक्त मिथ्या कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यवाही निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंधन करते हुए एवं मनमाना तरीके से की गई है। इस प्रकिया से जानबूझकर प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित करने के कारण राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी का यह निर्णय पुष्टी योग्य नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 18—01—2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विशेष आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पुनः आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर